न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 09 / 2012

आर0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या : 2012 / 00325

प्रार्थी:– **बनाम** **अप्रार्थीगण:–**

1. सरकार जरिये तहसीलदार सोजत

1. गुलाबसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया नींव तहसील सोजत जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति –

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांकः– 23/10/2018

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहे है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम ग्राम खारिया नींव के खसरा नम्बर 509 रकबा 1.92 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम की भूमि राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी का किसी भी रूप में कब्जा काश्त नहीं है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटित भूमि पर काश्त करना आवश्यक है, जबकि जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का किसी भी रूप में कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है, जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हुआ आवंटन खारिज़ योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हुए आवंटन को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि आवंटन कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 में धारित भूमि की जो सूचना दर्शाई है, उसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के हिस्से में 6.00 हैक्टेयर भूमि आती है, जिसमें से 1.20 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में आती है। अप्रार्थी द्वारा ग्राम खारिया

अति० जिला कलेक्टर, पाली

नींव के खसरा नम्बर 509 रकबा 1.92 हैक्टेयर की भूमि आवंटन कराने का निवेदन किया। इससे यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आती थी। इस पर आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी का अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटन किया है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत के नियम 11 के तहत आवंटन हेतु जो पात्रता निर्धारित है, उसके अनुसार मुख्य प्राथमिकता आवेदक का भूमिहीन होना है। हस्तगत प्रकरण में आवेदक/अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन नहीं थी। इसके अतिरिक्त नियम 14 के तहत आवंटन की जो शर्ते विहित है, उसके नियम 14 (3) के अनुसार आवंटिति को आवंटन के प्रथम़ वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना पड़ेगा और शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में जोतना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर न तो कब्जा प्राप्त किया गया तथा न ही काश्त की गई है। यह स्थिति राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (3) का उल्लंघन है, जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन विधि सम्मत नहीं पाया जाता

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी गुलाबसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया नींव तहसील सोजत जिला पाली को ग्राम खारिया नींव के खसरा नम्बर 509 रकबा 1.92 हैक्टेयर भूमि का आवंटन दिनांक 03.06.1985 को अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार सोजत को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर भूमि को कब्जे राज लेवे। इस निर्णय की प्रतिलिपी तहसीलदार सोजत को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 23/10/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली